

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई०एल०आर०  
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

महोदय श्री मुलाविक अग्रवाल (2075-78) पत्नी का नाम रोहितारा है जबकि  
उपरोक्त आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड के उपरोक्त  
नाम से ही रोहितारा कुमार है। अतः नाम रोहितारा कुमार करना  
प्रयोजनीय है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौडजी

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है / नहीं

प्रभारित गांवों के संग अभियान 2023

27/06/23  
तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)  
-: आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (मू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्यत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	रामगढ़	2075	138	रोहितारा कुं मुलाविक	रोहितारा कुं मुलाविक

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

326  
27/06/23

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 243  
प्रतिलिपि :-

27/06/23  
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी  
प्रभारी अधिकारी  
प्रभारित गांवों के संग अभियान - 2023  
उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी 27/06/23

1. तहसीलदार (मू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया ..... को सूचनार्थ।

27/06/23  
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी  
प्रभारी अधिकारी  
प्रभारित गांवों के संग अभियान - 2023  
उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी